(ख) दूध के नमूनों, शिशु खाद्य पदार्थों, मक्का, सरसों, बिनौलों और तिलों में कीटनाशक अवशिष्ट होने का पता लगाया गया है। शिशु खाद्य पदार्थों, डिब्बाबन्द खाद्य पदार्थों और हल्दी के नमूनों में विषैले खनिजों का पता लगाया गया है। मूंगफली, मक्का और लाल मिर्च के नमूनों में एफ्लेटोक्सिन होने का पता लगाया गया है। वैसे अधिकतर नमूनों में इन संदूषकों के पुट खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अन्तर्गत निर्धारित की गई अनुमत्य सीमाओं के भीतर पाये गये।

(ग) कोडेक्स के अन्तर्गत इन संदूषकों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमायें इस प्रकार हैं:—

दूध में – डी.डी.टी– 0.5 मि.ग्रा./कि.ग्रा. ;

दूध में – गाम्मा–एच.सी.एच. – 0.01 मि. ग्रा./कि.ग्रा.;

अनाज के उत्पादों में – गाम्मा–एच.सी.एच.– 0.2 मि.ग्रा./कि.ग्रा.;

डिब्बा बन्द फल उत्पादों में–

–तदेव– –आर्सेनिक : 0.2 मि.ग्रा./कि.ग्रा.;

–तदेव– –सीसा : 0.3 मि.ग्रा./कि.ग्रा.;

–तदेव– –तांबा : 5.0 मि.ग्रा./कि.ग्रा.;

–तदेव– –जस्ता : 5.0 मि.ग्रा./कि.ग्रा.; और

–तदेव– –टिन : 250 मि.ग्रा./कि.ग्रा.;

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अध्ययन किये गये कुछेक नमूनों में इन संदूषकों के अवशेष स्तर सीमाओं से अधिक पाये गये।

(घ) और (ङ) जी, हां।

(च) यद्यपि इन अध्ययनों के निष्कर्ष से विभिन्न उत्पादों में कीटनाशक अवशेष होने का पता चलता है, तथापि अधिकतर नमूनों में अवशेष स्तर निर्धारित सीमाओं के काफी भीतर पाये गये।

(छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमों के प्रवर्तन के लिये उत्तरदायी हैं, की बार-बार उत्पादों में ऐसे संदूषकों के बारे में सतर्क रहने और विश्लेषण करने के लिये ज्यादा से ज्यादा संभव संख्या में नमूने लेने और उपभोक्ताओं को शुद्ध और पौष्टिक खाद्य उत्पादकों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिये समुचित कार्रवाई करने के लिये जोर दिया गया है। खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को उनका दर्जा बढ़ाने के लिये सहायता की गई है, और कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन

208. **श्री राम जेठमलानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई 1994 के दैनिक 'आब्जर्वर' में जे. के. इसेटिब्स फार एन. आर. आई.ज-इनवेस्टिंग इन रिअल एस्टेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों को जम्मू कश्मीर राज्य में पूंजी लगाकर आवासीय भूमि खरीदने और उसे विकसित करने की पेशकश की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इन्हीं परिस्थितियों में भारत के अन्य नागरिकों को भी यह अवसर प्रदान करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) सरकार को 5 जुलाई, 1994 को "दैनिक "आब्जर्वर" में प्रकाशित समाचार की जानकारी है

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Assault on Journalists

209. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the press reports published in the "Indian Express" of 4th July, 1994 about the assault by plain clothes policemen from Punjab on two journalists of the "Statesman" at the press conference held by the Punjab Police Chief, K.P.S. Gill in New Delhi on Friday, the 1st July, 1994;

(b) if so, whether the perpetrators were part of bodyguards of the Director General, K.P.S. Gill who has severaly beaten the journalists;

(c) if so, what are the facts and details of the incident;

(d) whether Government have made any enquiry into the matter;

(e) if so, with what results; and

(f) what action Government have taken against the Punjab Police officials?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) Yes, Sir.

(b) to (f) Following a complaint from Deputy Editor (Sports) of 'Statesman' and his colleague in the matter a case has been registered under section 506|325|323 34 IPC at Police Station Parliament Street, New Delhi. The Commissioner of Police, Delhi has been asked to conduct an enquiry into he matter. The enquiry report has not been received so far.

Heinous crimes by militants and foreign mercenaries

210. SHRI JAGMOHAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that militants and mercenaries particularly of Sudan and Afghanistan origins have been indulging in acts of extreme brutality, in the State of Jammu and Kashmir;

(b) whether on April 29, in Udhampur district, some terrrorists first broke the limbs of three innocent persons and then slit their throats, in full public view;

(c) whether the culprits in the aforesaid case have been apprehended; and

(d) if so, what action has been taken by Government to end such heinous crimes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT) (a) to (d) There are reports of foreign mercenaries, including those from Afghanistan and Sudan, and Kashmiri militants indulging in acts of brutality in the State of Jammu and Kashmir. They are resorting to such heinous crimes in order to fulfil their objective of terrorising the people of J and K who are becoming more and more averse to their activities. In such terrorist related violence cases, identification of culprits| suspects becomes difficult for various reasons. However, Government have taken special steps like increased patrolling, additional deployment of security forces at vulnerable points and intensification of search and cordoning off operations to nab militants and to infuse confidence among the people.